पत्र सं0–14/डी0एल0ए0 (नीति)–02/2022–......843......./रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

ई–मेल

प्रेषक,

कमलेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

सेवा में,

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
शेखपुरा।

पटना, दिनांकः–...12-6-25......

विषयः– **मृतक पंचाटी के उतराधिकारी को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के भुगतान हेतु आदेश के संबंध में।**

प्रसंगः– **आपका पत्रांक–459, दिनांक–28.04.2025**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से पीठासीन पदाधिकारी, प्राधिकार न्यायालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा LARRA वाद सं0–02(67)/2023 में पंचाटी, जिनके नाम से 50.00 लाख रूपये से अधिक राशि का पंचाट घोषित है, वैसे पंचाटियों की मृत्यु के उपरांत उनके अधिकारियों को बिना सक्षम न्यायालय के वैद्य उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के बिना भुगतान हेतु आदेश पारित किया गया है, जबकि विभागीय पत्रांक 110 दिनांक 02.02.2018 से 50.00 लाख रूपये से अधिक मामलों में मृतक पंचाटी के दावेदार को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद मुआवजा भुगतान का निदेश संसूचित है, के संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है।

2– विदित हो कि विभागीय पत्रांक–110/रा0 दिनांक–02.02.2018 से भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में मृतक पंचाटी के दावेदार के संबंध में निदेश संसूचित है :–

(क) अंचलाधिकारी द्वारा प्रदत वैध रैयत होने के प्रमाण–पत्र के आधार पर मृतक पंचाटियों के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को रूपये–50,00,000.00 (पचास लाख) मात्र तक के मुआवजा की राशि बिना सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र प्राप्त किये भुगतान किया जा सकेगा वशर्त्ते कि मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारियों को भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा के भुगतानार्थ उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र एवं अंचल कार्यालय से दाखिल–खारिज का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया हो। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी इस स्थिति में सर्वप्रथम मृतक पंचाटी के वास्तविक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों के विषय में पूरी जाँच कर लेंगे तथा इस आधार पर यदि समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को समाधान हो जाय, तो मुआवजा की राशि का भुगतान किया जा सकता है।

(ख) ऐसे उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को मुआवजा की राशि का भुगतान के समय, सरकार के पक्ष में एक क्षतिपूर्त्ति बंध–पत्र (Indemnity Bond) प्रस्तुत करना होगा कि कानून की दृष्टि में अगर कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्ति समूह हकदार साबित होगा तो वे मुआवजा की सम्पूर्ण राशि अथवा आंशिक राशि, जो भी हो, सरकार को वापस करने के लिए बाध्य होंगे।

(ग) जहाँ प्रत्येक पंचाटी को देय राशि–50,00,000.00 (पचास लाख) रूपये से अधिक हो, वैसे मामलो में मृतक पंचाटी के दावेदार को, सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही समाहर्त्ता अन्य प्रक्रियाओ को पूरा करते हुए भुगतान करने का आदेश दे सकेंगे।

3– उल्लेखनीय है कि भू अर्जन अधिनियम,2013 के तहत संचालित विभिन्न परियोजनाओं में मुआवजा भुगतान हेतु विवादित मामले को प्राधिकार न्यायालय में संदर्भित किया जाना प्रावधानित है। उक्त अधिनियम की धारा–60 एवं 61 जो कि इस प्रकार है:–

60. (I) The Authority shall, for the purposes of its functions under this Act, shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) discovery and production of any document or other material object producible as evidence;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning of any public record;

(e) issuing commission for the examination of witnesses;

(f) reviewing its decisions, directions and orders;

(g) any other matter which may be prescribed.

(2) The Authority shall have original jurisdiction to adjudicate upon every reference made to it under section 64.

(3) The Authority shall not be bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 but shall be guided by the principles of natural justice and subject to the other provisions of this Act and of any rules made thereunder, the Authority shall have the power to regulate its own procedure.

(4) The Authority shall, after receiving reference under section 64 and after giving notice of such reference to all the parties concerned and after affording opportunity of hearing to all parties, dispose of such reference within a period of six months from the date of receipt of such reference and make an award accordingly.

(5) The Authority shall arrange to deliver copies of the award to the parties concerned within a period of fifteen days from the date of such award.

61. All proceedings before the Authority shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code and the Authority shall be deemed to be a civil court for the purposes of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

से स्पष्ट होता है कि प्राधिकार (LARRA) न्यायालयों को सिविल कोर्ट की शक्ति प्रदत्त है। साथ ही यह भी अंकनीय है कि अधिनियम की धारा–74 जो कि निम्नवत है:–

74. (I) The Requiring Body or any person aggrieved by the Award passed by an Authority under section 69 may file an appeal to the High Court within sixty days from the date of Award:

Provided that the High Court may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the said period, allow it to be filed within a further period not exceeding sixty days.

(2) Every appeal referred to under sub-section (I) shall be heard as expeditiously as possible and endeavour shall be made to dispose of such appeal within six months from the date on which the appeal is presented to the High Court.

Explanation.-For the purposes of this section, "High Court" means the High Court within the jurisdiction of which the land acquired or proposed to be acquired is situated.

4– अतएव अनुरोध है कि भू–अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत गठित प्राधिकार (LARRA) न्यायालयों द्वारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में दिये गये निर्णय पर मुआवजा भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

10/6/25

(कमलेश कुमार सिंह),
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक:–893/रा0, दिनांक:–12-6-25

प्रतिलिपि:–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/6/25
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक:–893/रा0, दिनांक:–12-6-25

प्रतिलिपि:–सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/6/25
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक:–893/रा0, दिनांक:–12-6-25

प्रतिलिपि:–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर यथास्थान रक्षित करने हेतु प्रेषित।

10/6/25
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।